राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
खाद्य भवन, भू–तल, शासन सचिवालय, जयपुर–302005

विषय– सम्वत् 2075 में अभावग्रस्त घोषित जिलों में अभाव अवधि के दौरान पेयजल परिवहन के व्यवस्था के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एफ.1(4) आ.प्र.एवं सहा. /सामान्य/ 2018/18874–94 दिनांक 19.11.2018 से बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, हनुमानगढ़, पाली, चूरू एवं नागौर जिले के ग्रामों को गम्भीर एवं मध्यम सूखाग्रस्त (Severe and Moderate category drought affected) घोषित किया गया है(प्रति संलग्न) । राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 19.1.19 में लिये गये निर्णयानुसार गत वर्ष की भांति उक्त जिलों में पेयजल व्यवस्था की जानी है।

अभावग्रस्त जिलों में से बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर एवं हनुमानगढ़ जिले के कुल ग्रामों में से अभावग्रस्त राजस्व ग्रामों की संख्या 25 प्रतिशत से अधिक होने के कारण सम्पूर्ण जिले में आपातकालीन पेयजल व्यवस्था की जानी है एवं शेष जिलों बीकानेर, पाली, चूरू एवं नागौर में अभावग्रस्त घोषित राजस्व ग्रामों की संख्या 25 प्रतिशत से कम होने के कारण आवश्यकतानुसार केवल अभावग्रस्त घोषित ग्रामों में पेयजल परिवहन व्यवस्था एस.डी.आर.एफ. से की जानी है।

अतः उपरोक्तानुसार सूखाग्रस्त (अभावग्रस्त) गांवो/जिलों में एस.डी.आर.एफ. नॉर्म्स के अनुसार एस.डी.आर.एफ से आपातकालीन पेयजल परिवहन व्यवस्था हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार जिन गांवों में पेयजल परिवहन करना आवश्यक समझा जावे उसका जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त कर आवश्यकतानुसार एस. डी.आर.एफ. नॉर्म्स की पालना सुनिश्चित करते हुए आपातकालीन पेयजल परिवहन व्यवस्था की जावेगी। पेयजल परिवहन पर्यवेक्षण आदि हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये जावेंगे। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कराये गये आपातकालीन पेयजल परिवहन के बिल संबंधित अधिशाषी अभियन्ता द्वारा जिला कलक्टर्स को प्रस्तुत किये जावेगे। प्रस्तुत बिलों का अनुमोदन जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से करवाये जाने के पश्चात् जिला कलक्टर द्वारा इस विभाग को ऑनलाइन डिमाण्ड प्रस्तुत की जावेगी।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

शासन सचिव

प्रमुख शासन सचिव,
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

अ.शा.टीप कमांक एफ.1(1)आ.प्र.एवं सहा./पेयजल परिवहन/2018/ 1295-1304
जयपुर, दिनांक 6-2-2019

प्रतिलिपि जिला कलक्टर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, हनुमानगढ़, पाली, चूरू एवं नागौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

शासन उप सचिव